न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 57 / 2023 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2023 / 261**
दायर दिनांक :— 02.09.2022 **निर्णय दिनांक :— 09.12.2024**

1. धन्नी पत्नी मलूराम जाति विश्नोई निवासी गोडू तहसील कोलायत जिला बीकानेर

—प्रार्थी

बनाम

1. कमला पत्नी भगवानाराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता
अप्रार्थी संख्या 1
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

—:निर्णय:—

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि सरहद मौजा केलनसर पटवार क्षेत्र केलनसर तहसील घंटियाली में प्रार्थीया व अन्य सहखातेदारान की संयुक्त काश्त खातेदारी की काश्त भूमि खसरा नम्बर 286 रकबा 18.6803 भूमि स्थित है। प्रार्थीया का उक्त भूमि पर आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीया ने उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है और प्रार्थीया अपने परिवार सहित बारह मास निवास करता आ रहा है नकल जमाबंदी सम्वत 2075—2078 व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी उक्त खातेदारी अधिकारों के चिपती उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 287 / 2 रकबा 16.1874 हैक्टेयर भूमि ग्राम केलनसर पटवार क्षेत्र केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी में आई हुई है। प्रार्थीया के खेत खसरा नम्बर 286 की भूमि एवं उसमें बनी रहवासीय ढाणी में आने जोन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 287 / 2 की भूमि में से रास्ता हेतु संलग्न नजरी नक्शा अनुसार उपयोग में ली जा रही है।, प्रार्थीया को आने जाने हेतु उक्त रास्ते के आलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि में से आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग लिया जा रहा था। अप्रार्थी उक्त रास्ते को बंद करने को आमादा है। अप्रार्थी संख्या 1 के खेत से लगता ही डामर सड़क मार्ग स्थित है जो डामर सड़क मौके पर केलनसर से घंटियाली तक जाती है जिस सड़क मार्ग तक पहुंच के लिये प्रार्थीया को यह प्रार्थना पत्र नये रास्ते की घोषणा हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया और अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 की और से अधिवक्ता ओमप्रकाश गोदारा ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार घंटियाली ने मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली में बहस सुनी गई।

09.12.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

विचाराधीन प्रकरण प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अन्तर्गत तहसीलदार घंटियाली से निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट व मौका फर्द अनुसार –

1. प्रार्थी वर्तमान में अस्थाई तौर पर खसरा नंबर 286 में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नंबर 287/2 के किनारे से उपयोग में ले रहे है जो कि स्वीकृत शुदा नहीं है।
2. खसरा नंबर 286 के निकटतम खसरा 287/2 के चिपती डामर सड़क है।
3. यदि खसरा नंबर 287/2 में से रास्ता दिया जाता है तो 2104.5 वर्गमीटर अर्थात 0.2105 हैक्टेयर भूमि रास्ते में आती है जो सबसे निकटतम व सुविधाजनक होगी।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विवेचन किया गया –

1. रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता।
2. वैकल्पिक रास्ते की आवश्यकता।
3. नया मार्ग लघुतम रूट से हो।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी, पत्रावली में संलग्न जमाबंदी, नजरी नक्शा, तहसीलदार घंटियाली की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया गया रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम केलनसर पटवार क्षेत्र केलनसर तहसील घंटियाली के खसरा नंबर 287/2 में से मौका फर्द के संलग्न नजरी नक्शानुसार 2104.5 वर्ग मीटर अर्थात 0.2105 हैक्टेयर रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अकंन किया जाकर मौके पर रास्ता चालू करवाये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त स्वीकृत रास्ते की एवज में अप्रार्थी संख्या 1 को डीएलसी की दुगनी दर से प्रतिकर देय होगा जिसकी गणना तहसीलदार घंटियाली द्वारा करवाई जावेगी। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के उपरांत गै.मु.रास्ते का अकंन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मांग किये जाने पर उक्त राशि अप्रार्थी संख्या 1 को लौटाई जावेगी। मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार घंटियाली को पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09.12.24

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)